राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

न्यायालय श्रीमान् [illegible].

प्र.क्रमांक R. 5092-दो/17

(119)

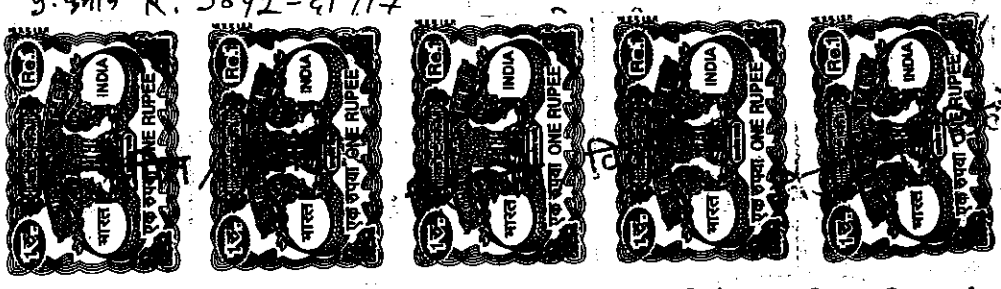

बिहारीलाल पिता श्री किशोरा कुशवाहा उम्र करीब 60 वर्ष पेशा कृषि साकिन मौजा करौदी जहला ग्राम पंचायत कंचनपुर तहसील मैहर जिला सतना म.प्र. —आवेदक

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत कंचनपुर इन्द्रजीत दाहिया वि.खण्ड मैहर जिला सतना म.प्र. —अनावेदक

आवेदक अभिभाषक श्री आदित्य कुमार त्रिपाठी द्वारा पेश 04-03-17

4.3.17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त नादन तहसील मैहर के रा.प्र.क.01अ12/2016–17 आदेश दिनांक 17.12.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार की ओर से अधोलिखित आधारों एवंत थ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत है:—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डले प्रभारी वृत्त नादन के कार्यालय में आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत कंचन पुर द्वारा ग्राम करौदी जहला की आ.नं.143 रकवा 1.568हे. म.प्र.शासन शासन रास्ता का सीमांकन आवेदन दिनांक 15.11.16 को प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक मण्डल नादन एवं ह.प.कंचनपुर जो एक ही व्यक्ति है ने सीमांकन आदेश दिया।

2. यह कि करौदी जहला की आ.नं.143म.प्र.शासन रास्ता के सीमांकन का कार्य तीन दिन यानी 21.11.16, 28.11.16 एवं 3.12.16 को किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है।

3. यह कि ह.पं.एवं राजस्व निरीक्षक जो एक ही व्यक्ति है ने दिनांक 3.12.16 को जो सीमांकन किया वह सरपंच कंचनपुर जो मुझसे राजनैतिक विरोध मानता है के कहने पर मुझे व मेरे पुत्रों को जो आ.नं.143 के सरहददी काश्तकार है। अशोक कुमार कुशवाहा पिता बिहारीलाल एवं त्रिभुवन कुशवाहा पिता बिहारीलाल को अन्तिम

बिहारीलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5092–दो/17 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–09–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत नादर तहसील मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 01/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 17–12–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सीमांकन पंचनामे से स्पष्ट होता है कि आवेदक का सीमांकित भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति पर सुनवाई का आदेश पारित किया गया है। यदि आवेदक की उक्त सीमांकन में भूमि कम हुई हो तो आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	